संचिका संख्या :–15/औ0–20–14/2025...................../स्वा०

बिहार सरकार

(स्वास्थ्य विभाग)

प्रेषक,

सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी असैनिक शैल्य चिकित्सक
–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–..................2026

विषय : औषधि नियंत्रक प्रसाशन संवर्ग के पदाधिकारियों को Bihar Biometric Attendence System (BBAS) के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना का पत्रांक–3632, दिनांक – 11.04.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में विभागीय पत्रांक–923(15), दिनांक–19.08.2025 की ओर अपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्यांतर्गत पदस्थापित/कार्यरत औषधि नियंत्रण संवर्ग के कई पदाधिकारियों के द्वारा BBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता के संबंध में कठिनाईयो का उल्लेख करते हुए विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि उन्हे निरीक्षण कार्य हेतु अपने मुख्यालय से लगभग 50–60 KM दूर जाना पड़ता है एवं बायोमेट्रिक मशीन सिविल–सर्जन कार्यालय में अधिष्ठापित रहने के कारण सुबह–शाम उपस्थिति दर्ज करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–923(15), दिनांक–19.08.2025 के क्रम में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि औषधि नियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियो के लिए अलग से उनके कार्यालय में तथा जहॉ अलग कार्यालय चिन्हित नही है, वहॉ यथासंभव निकट सहज एवं सुलभ स्थानो पर बायोमेट्रिक मशीन का अधिष्ठापन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि यदि कोई पदाधिकारी अपने पदीय दायित्वो से संबंधित विशेष कार्य/जॉच/निरीक्षण आदि कारणों से किसी दिन उपस्थिति दर्ज नही कर पाते हो और वे साक्ष्य सहित कारण/प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हो तो वैसी स्थिति में उनका वेतनादि रोकी

नही जाएगी एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमानुसार वेतनादि भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०–20–14/2025 260(15ए) **पटना/दिनांक :** 08/04/**2026**

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उप औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी सहायक औषधि नियंत्रक, बिहार/सभी औषधि निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।